झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या.....10........ वर्ष 20.24.....

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती आरती कुमारी, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम।

वाद प्रारंभ की तिथि
दि० 28.02.2024

बनाम

प्रतिवादी - जिला समाज कल्याण पदा०, पूर्वी सिंहभूम।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–10/2024

परिवादी श्रीमती आरती कुमारी, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवादी द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना के लाभ हेतु आवेदन आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से समर्पित किया गया था, किन्तु अबतक उन्हें एक भी किस्त प्राप्त नहीं हुई है। यह भी कि उनके द्वारा पूर्व में दिनांक–27.12.2023 को आयोग के व्हाटसएप्प पर इसकी शिकायत की गई थी, जिसके आलोक में आयोग द्वारा संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेश दिया गया था। उक्त के आलोक में अपर आयुक्त–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम के द्वारा दिनांक–06.01.2024 को सुनवाई भी की गई किन्तु अबतक उनके शिकायत का निवारण नहीं हुआ है।

प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–11.03.2024 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद–पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–11.03.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।